राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / अपग्रेड–218 / CBSE-159 / 02 दिनांक : 15/12/16

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रामाशिअ,समस्त 21 जिले।

विषय :– सत्र 2014–15 में संचालित 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के कक्षा 12 तक अपग्रेडेशन हेतु कक्षा 11 से लागू किए जाने योग्य संकाय संबंधी निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों को कक्षा 10 तक की संबद्धता प्राप्त है जिसे कक्षा 12 तक कराया जाना है। इस हेतु सत्र 2017-18 से स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त कक्षा 11से निम्नानुसार विषयों को लागू किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

S.No.	*Section A (Bio Group)*	*Section B (Maths Group)*
1	English Elective NCERT	English Elective NCERT
2	Biology	Maths
3	Physics	Physics
4	Chemistry	Chemistry
5	Inormation practices/physical education/maths/economics	IP/physical education/ biology/ economics

- क्रम संख्या 5 पर विकल्प के रूप में दिए गए विषयों में से कोई भी दो विषय विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति एवं अभिभावकों की बैठक में चर्चा कर विद्यालय में लागू किया जा सकता है।
- पाँचवा विषय के रूप में विद्यार्थी को विद्यालय में लागू दो विषय में से एक विषय का चयन करना होगा।
- उपरोक्तानुसार मॉडल विद्यालयों के कक्षा 12 तक अपग्रेडेशन की कार्यवाही नियमानुसार [illegible] प्रारम्भ की जावे। सुलभ संदर्भ हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के अपग्रेडेशन हेतु आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
- आवेदन के साथ जमा कराई जाने वाली राशि–16,000 रु. आवर्ती मद की जारी राशि में से व्यय की जा सकेगी।

अतः तदनुसार कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जावे।

(जसवाराम चौधरी)
अति. आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. निजी सचिव, शासन सचिव प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप, समस्त 21 जिले।
4. संस्थाप्रधान, मॉडल स्कूल [illegible]
5. रक्षित पत्रावली।